

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

O.A. No. 1335 of 2024

IN THE MATTER OF:

Hemant Singh Gonia

...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

...Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Respondent Affidavit on behalf of Respondent No. 2 i.e District Magistrate, Nainital.	1 - 11
2.	<u>Annexure R1</u> Copy of the letter dated 29.03.2025 bearing No. 654/ Naini Sewer/ 15 received from Uttarakhand Jal Sansthan Nainital.	12
3.	<u>Annexure R2</u> Copy of the letter dated 29.03.2025 bearing No. 625/SikhNai/NGT received from Irrigation Division, Nainital.	13
4.	<u>Annexure R3</u> Copy of the letter dated 03.04.2025 bearing number UKPCB / ROH/Writ/25/ 27-07 received from Pollution Control Board Haldwani.	14
5.	<u>Annexure R4</u> Copy of the letter dated 03.04.2025 bearing No. 58/XV-2 (a) from Nagar Palika Parishad, Nainital (Municipal Council, Nainital).	15

6.	<u>Annexure R5</u> Copy of the letter dated 04.04.2025 bearing number 142/23- Local Body/2024-25 sent by Respondent No. 2 to Respondent No. 1.	18 - 22
----	--	---------

THROUGH COUNSEL



Place: Dehradun, Uttarakhand

Date: 15.04.2025

ADARSH CHAMOLI

**Counsel For Respondent No. 2
5, Lawyers' Chamber Block-I,
Delhi High Court, New Delhi – 110003
Mobile: 8375955697
Email: adarshchamoli93@gmail.com**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

O.A. No. 1335 of 2024

IN THE MATTER OF:

Hemant Singh Gonia

...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

...Respondents

**RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 i.e.
DISTRICT MAGISTRATE, NAINITAL.**

Most Respectfully Showeth:



I, Vandana (Female), D/o Shri Main Pal Singh, aged 35 years, presently posted as District Magistrate, Nainital:


 (Deponent)

I, the above name deponent, do hereby solemnly affirm and stated as hereunder:

1. That the deponent is presently posted as District Magistrate, Nainital i.e. Respondent No. 2 in the present matter as such she is fully conversant with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.



2. That the present matter pertains to allegations of contamination of Naini lake from the side of Naini temple and taking cognizance of the said allegations levelled by the Applicant, this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 02.12.2024 passed in the present matter, has directed for inspection of the issue by way of a joint committee comprising of Uttarakhand Pollution Control Board, Central Pollution Control Board and the Commissioner, Nainital.
3. That in compliance of the said order dated 02.12.2024 a report dated 03.01.2024 and subsequently the updated report dated 21.01.2024 was filed on behalf of the Commissioner, Nainital. Subsequently, this Hon'ble Tribunal, took cognizance of the aforesaid reports and vide its order dated 25.02.2025, impleaded various government departments to file their appropriate response to the contents of the aforesaid report.
4. That the answering Respondent being one of the impleaded parties, had received information from Uttarakhand Jal Sansthan, Nainital, State Pollution Control Board, Haldwani and Municipal Council, Nainital as

under:

a. That the Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan Nainital:

- i. That vide its letter No. 654/ Naini Sewer/ 15 dated 29.03.2025, it has been intimated that Nainital Urban Sewerage Scheme under




9

Nainital District is under the safeguarding of Uttarakhand Jal Sansthan, Nainital, Irrigation Division, Nainital and in case of sewerage overflow, the Department gets it repaired instantly from time to time under the said scheme. It has been further informed that at present, under Nainital Urban Sewerage Scheme, 600 meter sewer line needs to be replaced as the 150 and 200 mm diameter sewer lines are very old and dilapidated in areas like Ramleela Ground Mallital, Staff House, Tara Lodge, Royal Hotel Compound, SSP Office, BD Pandey Hospital, Oak Lodge, Zoo Road Tallital etc. Apart from this, construction of 37 old damaged sewer manhole chambers and repair of 83 old sewer manholes and raising of covered sewer manhole chambers to the road level etc. in different places of the said areas under Nainital City, 5.80 km sewer line of 150 to 300 MS diameter and silt cleaning of 380 city sewer manhole chambers are to be done instantaneously. For carrying out the requisite task, a sanction of Rs 73.66 lakh has been given for expenditure by the Government of Uttarakhand vide Government Order No. 271429/2024 E-79778/2024, Drinking Water and Sanitation Section-2 Dehradun dated 30.01.2025. and an amount of Rs 44.196 lakh has already been released as the first installment in the financial year 2024-25 and the e-tender process is in progress in relation to the said consent.



Q

ii. Additionally, after conducting a comprehensive assessment of the works like replacement of old sewer lines, sewer manhole chambers, under size sewer pipe lines laid for 30-40 years in Nainital city and connecting the residual buildings in Nainital city to sewer lines, a Detailed Project Report ("DRP") of Rs. 109.00 crore has been prepared by Uttarakhand Drinking Water Corporation, Construction Branch Bhimtal. After getting the works provided in the said DPR done, the sewerage system will be strengthened in the entire Nainital city.



Copy of the letter dated 29.03.2025 bearing No. 654/ Naini Sewer/ 15 is annexed as **Annexure R1**.

b. The Executive Engineer, Irrigation Division, Nainital:

That vide its letter dated 29.03.2025 bearing No. 625/SikhNai/NGT, it has been informed that safeguarding of sewerage line in the city of Nainital is being completed by Jal Sansthan, Nainital and the essential action for efficient prevention of the same is also done at the level of Jal Sansthan, Nainital. Copy of the letter dated 29.03.2025 bearing No. 625/SikhNai/NGT is annexed herewith as **Annexure R2**.

c. The Regional Officer, Pollution Control Board Haldwani

9

That vide its letter dated 03.04.2025 bearing number UKPCB / ROH/Writ/25/ 27-07 that sample collection/analysis of Nainital Lake is done by the office on journal basis. Such analysis reports are uploaded on the Board's website on a monthly basis. Apart from this, the Board is also carrying out sample collection / analysis of water quality of Drain No. 23 and Nainital lake by way of a third party recognized laboratory, in terms of the guidelines of the *amicus curiae* appointed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No. 518 of 2022 tiled as Vivek Verma Vs. Government of Uttarakhand. Copy of the letter dated 03.04.2025 bearing number UKPCB / ROH/Writ/25/ 27-07 is annexed as **Annexure R3**.

- d. The Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Nainital (Municipal Council, Nainital), vide its letter dated 03.04.2025 bearing No. 58/XV-2 (a), had informed about the data of action on solid waste management as under:

- i. The population of 41377 resides in 11.46 sq km area in entire 15 Wards under Nagar Palika Parishad, Nainital area. A total of 17-20 tonnes of waste is produced daily in the 115 wards, which is sent every day to Trenching Ground Gaulapar Haldwani for disposal through garbage vehicles such as dumpers, compactors. It is also to be informed that there is no dumping site within Nainital city area.



9

ii. For smooth performance of the cleaning system in Nainital 01 supervisor and 05 personnel have been deployed under the Municipal Council, Nainital area. Out of this, 03 personnel to clean the lake towards Tallital area and 02 personnel to clean the lake towards Mallital area.

iii. The amount of waste collected per ward under the Municipal Council, Nainital area is as under:

Srl No.	Name of the ward	Population	Amount of waste produced per day (in tonnes)
1	Staff House	3128	1.25
2	Sher Ka Danda	3481	1.39
3	Raj Bhawan	3172	1.27
4	Hari Nagar	2409	0.96
5	Snowview	3072	1.23
6	Narayan Nagar	2524	1.01
7	Sukhatal	3384	1.35
8	Ayarpata	2482	0.99
9	Upparmal	3364	1.35
10	Nainital Club	2623	1.05
11	Shri Krishnapur	2317	0.93



9

12	Sainik School	2241	0.90
13	Awagarh	2491	0.96
14	Mallital Bazar	2479	0.99
15	Tallital Bazar	2310	0.92
		Total	16.6

iv. The process of setting up the following machines for waste disposal by Nagar Palika Parishad, Nainital is underway under the project titled as "A Multidimensional Remediation and Innovative Tailoring of Materialistic Waste (AMRITRAM): Innovative Approach for the Collection, Segregation and Upcycling of Solid Waste" being funded by National Mission on Himalayan Studies (NMHS),:-

1. 03 Trommel machines for segregation of mix waste.
2. 02 composting machines for waste to compost work.
3. 01 waste to fuel plant for turning plastic waste into furnace oil.
4. 01 fatka machine for polythene cleaning.
5. 01 shredder machine for shredding plastic waste into small pieces.




9

On 09 January, 2025 in relation to the aforesaid, an Agreement has been formed between Municipal Council, Nainital and Municipal Corporation, Haldwani.

v. Municipal Council, Nainital has installed 40 (Twin Bin) dustbins of 50 litres each for wet and dry garbage at different places such as Mall Road, Municipal limits, market area and different wards to get better the good sanitation system. The dustbins will be used by the general public and tourists at the respective places, which will resolve the problem of redundant garbage spread here and there.

vi. For violating the "Uttarakhand Littering and Spitting Prohibition Act-2016", challan action is being taken by the Municipality against the concerned persons, and the particulars of challans till March, 2025 are as under :



No.	Name of the district	Total number of challans issued till last month February, March, 2025	Total number of challans issued in the month of March, 2025	Total number of challans	Total amount recovered as fine till last month	Total amount recovered as fine in the month	Total amount recovered as fine	Improperly
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Nainital	2311	33	2344	977787	46750	102, 537	-

In continuation of the above, from January, 2025 to date, action has been taken by issuing 05 challans against those who leave sewer in

9

the open and since the body has the provision of challan action up to simply a sum of Rs. 5000/- under the Uttarakhand Prohibition of Throwing Litter and Spitting Act, 2016. Therefore, the information of those who leave sewer in the open is also given by the body to the Regional Pollution Control Board.

vii. For installing CCTV cameras for monitoring at public places / roads / garbage collection sites, after survey under the body, cameras are being installed and monitored at the main places selected for monitoring those throwing garbage in the open, such as, close to Mallital State Bank of India, Mall Road Kennedy Park and at the beginning of Thandi Sadak and the process of installing CCTV cameras at additional 36 places is also in progress.



viii. The Municipal Administration has issued a WhatsApp No. 9149274469 for the convenience of citizens to register complaints connected to garbage collection/disposal along with photographs. In which the general public can register complaints associated to garbage collection/disposal along with photographs. Nagar Palika Parishad, Nainital has prepared a complaint vehicle pickup through which the difficulty is determined on receiving complaints connected to garbage from the public.

49

ix. That to make certain compliance with SWM Rules 2016, Nagar Palika Parishad, Nainital has connected 15 wards under the Municipal Area with door to door garbage consciousness and garbage segregation campaign. The dry garbage preserved in the MRF Centre by Municipal Council, Nainital is referred to the recycling plant.


x. Boards / hoardings with adequate instructions and warnings are installed at public places and main tourist places not to throw garbage in the open and to dispose of garbage in dustbins.

Copy of the letter dated 03.04.2025 bearing No. 58/XV-2 (a) is annexed as **Annexure R4**.

5. That all the aforesaid information has been communicated by Respondent No. 2 through Additional District Magistrate, Nainital to Respondent No. 1 vide its letter dated 04.04.2025 bearing number 142/23- Local Body/2024-25. Copy of the letter dated 04.04.2025 bearing number 142/23- Local Body/2024-25 is **Annexure R5**.

6. That the contents of the Affidavit have been prepared under the instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed therefrom.

9



7. That the deponent undertakes to comply with any further directions that this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.

P.T.I. of deponent

←

←

[Signature]

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Nainital, Uttarakhand on 15th day of April 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



[Signature]

DEPONENT

Verified that all the contents of the Dep. ment Identified by *Vandana* sworn & Verified to in Content of this Affidavit At *Haldwani* on *15.4.25* at *4:00 P.M.*
[Signature]
(Yogesh Kumar Deval) *5.4.25*
Notary, Haldwani
Distt Nainital (UK)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड जल संस्थान, शाखा नैनीताल

दूरभाष नं० (का०) 05942-235428
फैक्स नं० (फैक्स) 05942-231082
ई-मेल आईडी-ccujstnt@gmail.com

दिनांक : 29/03/25

पत्रांक 654 / नैनी सीवर / 15
सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
कार्यालय जिलाधिकारी,
नैनीताल।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 236/29-ए०आर०ए०/2024-25 दिनांक 25 मार्च, 2025 जो कि मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल के अनुरक्षण में है। उक्त सीवर योजना में सीवरेज ओवरफ्लो होने की दशा में विभाग द्वारा समय-समय पर तत्काल सही कराया जाता है। वर्तमान में नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना के अन्तर्गत रामलीला ग्राउण्ड मल्लीताल, स्टाफ हाउस, तारा हॉल, रॉयल होटल कम्पाउण्ड, एस०एस०पी० ऑफिस, वी०डी० पाण्डे हॉस्पिटल, ओक लॉज, जू रोड तल्लीताल इत्यादि क्षेत्रों में 150 तथा 200 एम०एम० व्यास की सीवर लाईनें अत्यधिक पुरानी एवं जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण 600 मीटर सीवर लाईन बदली जानी अत्यावश्यक है, उक्त के साथ ही नैनीताल नगर के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में 37 नग पुराने क्षतिग्रस्त सीवर मैनहोल चैम्बरों का निर्माण तथा 83 नग पुराने सीवर मैनहोलों की मरम्मत एवं दबे हुए सीवर मैनहोल चैम्बरों को मार्ग की सतह तक ऊंचा उठाये जाने इत्यादि कार्य, 150 से 300 एम०एम० व्यास की 5.80 किलोमीटर सीवर लाईन व 380 नग सीवर मैनहोल चैम्बरों की सिल्ट सफाई तत्काल सफाई करायी जानी अति आवश्यक होती है। जिस हेतु शाखा द्वारा धनराशि ₹ 83.63 लाख मात्र का प्राक्कलन गठित कर उच्चाधिकारियों के माध्यम से स्वीकृति एवं धनावंटन प्रदान कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष धनराशि ₹ 81.31 लाख मात्र की स्वीकृति शासन से इस शाखा को प्राप्त चुकी है (सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) एवं उक्त स्वीकृति के सापेक्ष ई-निविदा प्रक्रिया गतिमान है। उपरोक्त के अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत 30-40 वर्ष बिछी हुई पुरानी सीवर लाईन सीवर मैनहोल चैम्बर, अन्डर साईज सीवर पाईप लाईन को बदला जाना तथा नैनीताल नगर नगर में छूटे हुए भवनों को सीवर लाईनों से जोड़े जाने इत्यादि कार्यों का विस्तृत सर्वे करने के उपरान्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा भीमताल द्वारा धनराशि ₹ 109.00 करोड़ की डी०पी०आर० तैयार की गई है। उक्त डी०पी०आर० में प्राविधानित कार्य कराये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण नैनीताल नगर में सीवरेज व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश सिंह गर्बाल)
अधिशासी अभियन्ता

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड नैनीताल।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदया,
नैनीताल।

पत्रांक :- 625 /सिंखनै/एन0जी0टी0

दिनांक 29 मार्च 2025

विषय :- मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या- 1335/2024 हेमन्त सिंह मोनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक 236/29-ए0आर0ए0/2024-25 दिनांक 25.03.2025।
महोदया,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय लेते हुए अवगत करना है कि नैनी-झील से सम्बन्धित नालों में जहाँ सीवर युक्त जल आने की सम्भावना है, उन्हें चिन्हित कर इस कार्यालय के पत्रांक 402/सिंखनै/नैनीझील दिनांक 25.02.2025, जो कि आपको भी पृष्ठांकित है, के द्वारा जल संस्थान, नैनीताल को अवगत करा दिया गया है। चूँकि नैनीताल शहर में सीवर लाईन के रख-रखाव का कार्य जल-संस्थान द्वारा किया जा रहा है। अतः उक्त पर प्रभावी रोक-थाम हेतु आवश्यक कार्यवाही उन्हीं के स्तर पर सम्भव हो पाएगी।


अधिशारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नैनीताल।



UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ref: UKPCB/ROH/रि/25/22-07

Dt-03/04/25

सेवा मे,

जिलाधिकारी महोदया,
जनपद-नैनीताल।

विषय:- मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.नं 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या:-236/29-ए0आर0ए0/2024-25 दिनांक-25.03.2025 द्वारा मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए.नं 1335/2024 हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के सन्दर्भ में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, देहरादून के पत्र संख्या 191/XXXVIII-1-2025-15(01) 2025 दिनांक 12.03.2025 द्वारा मा. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित उक्त वांछित सूचना उपलब्ध कराने के अनुक्रम में सादर अवगत कराना है की इस कार्यालय द्वारा नैनीताल झील का नमूना एकत्रण/विश्लेषण मासिक आधार पर किया जाता है। जिसकी विश्लेषण आख्यायें मासिक आधार पर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0-518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार में नियुक्त न्यायमित्र के निर्देशानुसार नाला न0 23 तथा नैनीताल झील की जल गुणवत्ता का नमूना एकत्रण/विश्लेषण तृतीय पक्ष मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भी किया जाता है। उक्त सूचनाये इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक-27.03.2025 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड तथा अधिशासी अभियन्ता, जल सस्थान, नैनीताल को पूर्व प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त तथ्य समस्त अभिलेखों सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय


03/04/25
(अनुराग नेगी)
क्षेत्रीय अधिकारी



कार्यालय नगर पालिका परिषद, नैनीताल

E-mail:- nppnainital@gmail.com



पत्रांक :- 58 / XV-2(a)

(दूरभाष - 05942-235153)

दिनांक :- 03.04.2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-नैनीताल।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं० 1335/2024 हेमन्त सिंह गोनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के संबंध में।

सहोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 141/23-स्थानीय निकाय/2024-25 दिनांक 03 अप्रैल, 2025 जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यवाही की आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है -

1. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल 15 वार्डों में 11.46 वर्गकिमी० क्षेत्रफल में 41377 जनसंख्या निवासरत है। कुल 15 वार्डों में दैनिक रूप से 17-20 टन अपशिष्ट उत्पादित होता है, जिसे प्रतिदिन कूड़ा वाहनों यथा डम्पर, कॉम्पेक्टर के माध्यम से निस्तारण हेतु ट्रचिंग ग्राउण्ड गौलापार हल्लदानी भेजा जाता है। यह भी अवगत कराना है कि नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत कोई भी डंपिंग स्थल नहीं है।
2. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत नैनीझील में सफाई व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु 01 सुपरवाइजर तथा 05 कार्मिकों की तैनाती की गयी है। इसमें से 03 कार्मिकों द्वारा तल्लीताल क्षेत्र की ओर तथा 02 कार्मिकों द्वारा मल्लीताल क्षेत्र की ओर झील की सफाई की जाती है।
3. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत प्रतिवार्ड एकत्रित होने वाले अपशिष्ट की मात्रा निम्नानुसार है -

क्रमांक	वार्ड का नाम	जनसंख्या	प्रतिदिन उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टन में)
01	स्टाफ हाउस	3128	1.25
02	शेर का डांडा	3481	1.39
03	राजभवन	3172	1.27
04	ळरिनगर	2409	0.96
05	रनोव्यू	3072	1.23
06	नारायण नगर	2524	1.01

1/9

07	सूखाताल	3384	1.35
08	अयारपाटा	2482	0.99
09	टपरमाल	3364	1.35
10	नैनीताल क्लब	2623	1.05
11	श्री कृष्णापुर	2317	0.93
12	सैनिक स्कूल	2241	0.90
13	आवागढ़	2391	0.96
14	मल्लीताल बाजार	2479	0.99
15	तल्लीताल बाजार	2310	0.92
	कुल		16.6

4. नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा National Mission on Himalaya Studies (NMHS). An Innovative Approach for the Collection, Segregation and upcycling of Solid waste अमृतम परियोजना के अन्तर्गत अपशिष्ट निस्तारण हेतु निम्न मशीनें स्थापित की जाने की कार्यवाही गतिमान है—
- 1- 03 Trommel machines for segregation of mix waste.
 - 2- 02 composting machines for waste to compost work.
 - 3- 01 waste to fuel plant for turning plastic waste into furnace oil.
 - 4- 01 fatka machine for polythene cleaning.
 - 5- 01 shredder machine for shredding plastic waste into small pieces.
 - 6- 01 incinator for inciration for RDF.
- उपरोक्त के संबंध में 09 जनवरी, 2025 को नगर पालिका परिषद, नैनीताल तथा नगर निगम हल्द्वानी के मध्य अनुबन्ध गठित हो चुका है।
5. नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा सफाई व्यवस्था दुरुस्त किये जाने हेतु नगर के विभिन्न स्थलों यथा, मोलरोड, पालिका सीमाओं, बाजार क्षेत्र तथा विभिन्न वाडों में 50 लीटर के 40(Twin Bin) गीला एव सूखा कूड़ा हेतु कूड़ेदान स्थापित किये गये हैं। संबंधित स्थलों में जनसामान्य एव पर्यटकों द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु उक्त कूड़ादानों का प्रयोग किया जायेगा जिससे अनावश्यक यत्र-तत्र फैलने वाले कूड़े की समस्या का सामाधान होगा।
6. "उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016" का उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरुद्ध पालिका द्वारा चालानी कार्यवाही चालानी कार्यवाही की जा रही है, तथा माह मार्च, 2025 तक चालानों का विवरण निम्नवत् है—

क्रम सं०	जनपद का नाम	विगत माह फरवरी, 2025 तक किये गये कुल चालानों की संख्या	मह मार्च, 2025 में किये गये कुल चालानों की संख्या	कुल चालानों की संख्या	विगत माह तक जुमाने के रूप में वसूल की गयी धनराशि	माह में जुमाने के रूप में वसूल की गयी धनराशि	जुमाने के रूप में वसूल की गयी कुल धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	नैनीताल	2311	33	2344	977787	46750	1,024,537	—

१९

उपरोक्त के क्रम में माह जनवरी, 2025 से आतिथि तक खुले में सीवर छोड़ने वालों के 05 चालान करते हुए कार्यवाही की गयी है तथा चूँकि निकाय के पास उत्तरखण्ड कूड़ा फ़ैकना एवं धूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत मात्र रु0 5000/- तक की चालानी कार्यवाही का प्राविधान है। अतः निकाय द्वारा खुले में सीवर छोड़ने वालों की सूचना क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी दी जाती है। (संलग्न-1)

7. सार्वजनिक स्थलों/मार्गों/कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर निगरानी हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किये जाने हेतु निकाय अन्तर्गत सर्वे उपरान्त चयनित मुख्य स्थलों यथा, मल्लीताल भारतीय स्टेट बैंक के समीप, मालरोड कौनेडी पार्क तथा ठंडी सड़क के प्रारम्भ में खुले में कूड़ा फ़ैकने वालों पर निगरानी हेतु कैमरे स्थापित कर मॉनिटरिंग की जा रही है तथा अतिरिक्त 36 स्थलों पर भी सी0सी0टी0वी0 कैमरे शीघ्र ही स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
8. पालिका प्रशासन द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवाने हेतु नागरिकों की सुविधा हेतु एक **व्हाट्सएप नम्बर 9149274469** जारी किया गया है। जिसमें आमजनता कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से संबंधित शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवा सकती है। नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा शिकायत वाहन पिकअप (Complaint Vehicle) तैयार की गयी है जिससे जनता द्वारा कूड़े से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का निस्तारण किया जाता है।
9. नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा एस0डब्ल्यूएम0 नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पालिका द्वारा 15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा जागरूकता एवं कूड़ा पृथक्कीकरण अभियान से जोड़ा गया है। नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा एम0आर0एफ0 सेंटर में संरक्षित सूखे कूड़े को रिसाईकिलिंग प्लान्ट में भेजा जाता है।
10. सार्वजनिक स्थानों व मुख्य पर्यटक स्थलों पर कूड़ा खुले में न डालने व कूड़ादान में ही कूड़े का निस्तारण करने के पर्याप्त निर्देश व चेतावनी युक्त बोर्ड/होर्डिंग स्थापित हैं।
अतः उपरोक्तानुसार आख्या महोदय के अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(दीपक गोस्वामी)

अधिशाली अधिकारी(श्रेणी-1),
नगर पालिका परिषद, नैनीताल।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
पर्या0 संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग,
देहरादून।

संख्या:- 142 / 23-स्थानीय निकाय / 2024-25 दिनांक 04 अप्रैल, 2025
विषय :- मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में याजित मूल वाद संख्या 1335 / 2024
हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

—00—

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-191/XXXVIII-1-2025-15(01)2025 दिनांक 12 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-1335/2024, हेमन्त सिंह गौनिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए वांछित सूचना एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्तानुसार उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी एवं नगर पालिका परिषद्, नैनीताल से प्राप्त आंख्या/सूचना निम्नानुसार है:-

1- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान नैनीताल- द्वारा अपने पत्र संख्या 654/नैनी सीवर/15 दिनांक 29.03.2025 से अवगत कराया है कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल के अनुरक्षण में है। उक्त सीवर योजना में सीवरेज ओवरफ्लो होने की दशा में विभाग द्वारा समय-समय पर तत्काल सही कराया जाता है। वर्तमान में नैनीताल नगरीय सीवरेज योजना के अन्तर्गत रामलीला ग्राउण्ड मल्लीताल, स्टाफ हाउस, तारा लॉज, रॉयल होटल कम्पाउण्ड, एस0एस0पी0 ऑफिस, बी0डी0 पाण्डे हॉस्पिटल, ओक लॉज, जू रोड तल्लीताल इत्यादि क्षेत्रों में 150 तथा 200 एम0एम0 व्यास की सीवर लाईनें अत्यधिक पुरानी एवं जीर्ण-क्षीर्ण होने के कारण 600 मीटर सीवर लाईन बदली जानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत उक्त क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों में 37 नग पुराने क्षतिग्रस्त सीवर मैनहोल चम्बरों का निर्माण तथा 83 नग पुराने सीवर मैनहोलों की मरम्मत एवं दबे हुए सीवर मैनहोल चैम्बरों को मार्ग की सतह तक ऊँचा उठाये जाने इत्यादि कार्य, 150 से 300 एम0एस0 व्यास की 5.80 किलोमीटर सीवर लाईन व 380 नगर सीवर मैनहोल चैम्बरों की सिल्ट सफाई तत्काल करायी जानी है। जिस हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश सं0-271429/2024 ई0-79778/2024 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 30 जनवरी, 2025 से जनपद नैनीताल की नैनीताल शाखा के अन्तर्गत सीवर योजना के सुदृढीकरण कार्यों की योजना की विभागीय टी0एस0सी0 द्वारा परीक्षित/संस्तुत कुल लागत रू0 81.31 लाख में से सेंटेंज की धनराशि को कम करते हुए रू0 73.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 44.196 लाख (रू0 चवालीस लाख उन्नीस हजार छः सौ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गयी है और उक्त स्वीकृति के सापेक्ष ई-निविदा प्रक्रिया गतिमान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नैनीताल नगर के अन्तर्गत 30-40 वर्ष से बिछी हुई पुरानी सीवर लाईन, सीवर मैनहोल चैम्बर, अन्डर साईज सीवर पाईप लाईन को बदला जाना तथा नैनीताल नगर में छूटे हुए भवनों को सीवर लाईनों से जोड़े जाने इत्यादि कार्यों का विस्तृत सर्वे करने के उपरान्त उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा भीमताल द्वारा धनराशि रू0 109.00 करोड़ की डी0पी0आर0 तैयार की गई है। उक्त डी0पी0आर0 में प्राविधानित कार्य कराये जाने के उपरान्त सम्पूर्ण नैनीताल नगर में सीवरेज व्यवस्था सुदृढ हो पायेगी। (अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान नैनीताल एवं शासन के पत्र दिनांक 30.01.2025 की प्रति संलग्न)

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नैनीताल- द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 625/सिंचनै/एन0जी0टी0/ दिनांक 29 मार्च, 2025 से अवगत कराया है कि नैनीताल शहर में सीवर लाईन के रख-रखाव का कार्य जल-संस्थान द्वारा किया जा रहा है, उक्त पर प्रभावी रोक-थाम हेतु आवश्यक कार्यवाही जल संस्थान के स्तर पर सम्भव हो पाएगी।

3- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी- द्वारा अपने पत्र संख्या UKPCB/ROH/रिट/25/27-07 दिनांक 03 अप्रैल, 2025 से अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय द्वारा नैनीताल झील का नमूना एकत्रण/विश्लेषण मासिक आधार पर किया जाता है। जिसकी विश्लेषण आख्यायें मासिक आधार पर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं, इसके अतिरिक्त पूर्व में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकारण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-518/2022 विवेक वर्मा बनाम उत्तराखण्ड सरकार में नियुक्त न्यायमित्र के निर्देशानुसार नाला नं0 23 तथा नैनीताल झील की जल गुणवत्ता का नमूना एकत्रण/विश्लेषण तृतीय पक्ष मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा भी किया जाता है। (विश्लेषण आख्या एवं पत्र की प्रति संलग्न)

4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल- द्वारा अपने पत्र संख्या-58/XV-2(a) दिनांक 03.04.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि टोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यवाही की आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है:-

1. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुल 15 वार्डों में 11.46 वर्गकिमी0 क्षेत्रफल में 41377 जनसंख्या निवासरत है। कुल 115 वार्डों में दैनिक रूप से 17-20 टन अपशिष्ट उत्पादित होता है, जिसे प्रतिदिन कूड़ा वाहनों यथा डम्पर, कॉम्पेक्टर के माध्यम से निस्तारण हेतु ट्रैकिंग ग्राउण्ड गौलापार हल्द्वानी भेजा जाता है, यह भी अवगत करना है कि नैनीताल नगर क्षेत्रान्तर्गत कोई भी डंपिंग स्थल नहीं है।
2. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत नैनीझील में सफाई व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु 01 सुपरवाइजर तथा 05 कार्मिकों की तैनाती की गयी है। इसमें से 03 कार्मिकों द्वारा तल्लीताल क्षेत्र की ओर तथा 02 कार्मिकों द्वारा मल्लीताल क्षेत्र की ओर झील की सफाई की जाती है।
3. नगर पालिका परिषद, नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत प्रतिवार्ड एकत्रित होने वाले अपशिष्ट की मात्रा निम्नानुसार है:-

क्रमांक	वार्ड का नाम	जनसंख्या	प्रतिदिन उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टन में)
1	स्टाफ हाउस	3128	1.25
2	शेर का डांडा	3481	1.39
3	राजभवन	3172	1.27
4	हरिनगर	2409	0.96
5	स्नोव्यू	3072	1.23
6	नारायण नगर	2524	1.01
7	सूखाताल	3384	1.35
8	अयारपाटा	2482	0.99
9	अपरमाल	3364	1.35
10	नैनीताल क्लब	2623	1.05
11	श्री कृष्णापुर	2317	0.93
12	सैनिक स्कूल	2241	0.90
13	आवागढ़	2491	0.96
14	मल्लीताल बाजार	2479	0.99
15	तल्लीताल बाजार	2310	0.92
	कुल		16.6

4. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा Nainital Mission on Himalaya Studies (NMHS). An Innovaative Approach for the collection, Segregation and upcycling of Solid waste अमृतम परियोजना के अन्तर्गत अपशिष्ट निस्तारण हेतु निम्न मशीनें स्थापित की जाने की कार्यवाही गतिमान है:-

- 1- 03 Trommel machines for segregation of mix waste.
- 2- 02 composting machines for waste to compost work.
- 3- 01 waste to fuel plant for turning plastic waste into furance oil.
- 4- 01 fatka machine for polythene cleaning.
- 5- 01 shredder machine for shredding plastic waste into small pieces.
- 6- 01 incinaior for inciration for RDF.

उपरोक्त के सम्बन्ध में 09 जनवरी, 2025 को नगर पालिका, नैनीताल तथा नगर निगम हल्द्वानी के मध्य अनुबन्ध गठित हो चुका है।

5. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा सफाई व्यवस्था दुरुस्त किये जाने हेतु नगर के विभिन्न स्थलों यथा, मालरोड, पालिका सीमाओं, बाजार क्षेत्र तथा विभिन्न वार्डों में 50 लीटर के 40(Twin Bin) गीला एवं सूखा कूड़ा हेतु कूड़ेदान स्थापित किये गये हैं। सम्बन्धित स्थलों में जनसामान्य एवं पर्यटकों द्वारा कूड़ादानों का प्रयोग किया जायेगा जिससे अनावश्यक यत्र-तत्र फैलने वाले कूड़े की समस्या का समाधान होगा।
6. "उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम-2016" का उल्लंघन करने पर सम्बन्धितों के विरुद्ध पालिका द्वारा चालानी कार्यवाही की जा रही है, तथा मार्च, 2025 तक चलानों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	विगत माह फरवरी, 2025 तक किये गये कुल चालानों की संख्या	माह मार्च, 2025 में किये गये कुल चालानों की संख्या	कुल चालानों की संख्या	विगत माह तक जुर्माने के रूप में वसूल की गयी धनराशि	माह में जुर्माने के रूप में वसूल की गयी धनराशि	जुर्माने के रूप में वसूल की गयी कुल धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	नैनीताल	2311	33	2344	977787	46750	1,02,537	-

उपरोक्त के क्रम में माह जनवरी, 2025 से आतिथि तक खुले में सीवर छोड़ने वालों के 05 चालान करते हुए कार्यवाही की गयी है तथा चूंकि निकाय के पास उत्तराखण्ड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत मात्र रु० 5000/-तक की चालानी कार्यवाही का प्राविधान है। अतः निकाय द्वारा खुले में सीवर छोड़ने वालों की सूचना क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी दी जाती है। (छायाप्रति संलग्न)

7. सार्वजनिक स्थलों/मार्गों/कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों पर निगरानी हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरे स्थापित किये जाने हेतु निकाय अन्तर्गत सर्वे उपरान्त चयनित मुख्य स्थलों यथा, मल्लीताल भारतीय स्टेट बैंक के समीप, मालरोड कैनेडी पार्क तथा टंडी सड़क के प्रारम्भ में खुले में कूड़ा फैंकने वालों पर निगरानी हेतु कैमरे स्थापित कर मॉनिटरिंग की जा रही है तथा अतिरिक्त 36 स्थलों पर भी सी०सी०टी०वी० कैमरे शीघ्र ही स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
8. पालिका प्रशासन द्वारा कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से सम्बन्धित शिकायतों को को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवाने हेतु नागरिकों की सुविधा हेतु एक व्हाट्सएप नम्बर 9149274469 जारी किया गया है। जिसमें आमजनता कूड़े के एकत्रीकरण/निस्तारण से सम्बन्धी शिकायतों को मय फोटोग्राफ्स दर्ज करवा सकती है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा शिकायत वाहन पिकअप (Complaint Vehicle) तैयार की गयी है जिससे जनता द्वारा कूड़े से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर समस्या का निस्तारण किया जाता है।

9. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एस0डब्ल्यूएम0 नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पालिका द्वारा 15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा जागरूकता एवं कूड़ा पृथक्कीकरण अभियान से जोड़ा गया है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एम0आर0एफ0 सेंटर में संरक्षित सूखे कूड़े को रिसाईकिलिंग प्लान्ट में भेजा जाता है।

10. सार्वजनिक स्थानों व मुख्य पर्यटक स्थलों पर कूड़ा खुले में न डालने व कूड़ादान में ही कूड़े का निस्तारण करने के पर्याप्त निर्देश व चेतावनी युक्त बोर्ड/होर्डिंग स्थापित हैं।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में उक्तानुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,



(फिंचा राम चौहान)

अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)

नैनीताल।

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को उनके पत्र संख्या 958/छब्बीस-3/2024-25 दिनांक 17 मार्च, 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिन्सपल बैंच, नई दिल्ली को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री आर्दश चमोली, पैनल एडवोकेट, चैम्बर नं0-5, लॉयर चैम्बर्स, ब्लॉक-1 दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली, पिन-11001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार तथ्यों से मा. प्राधिकरण को अवगत करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण करवाये जाने का कष्ट करें।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली।

अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)

नैनीताल।

9. नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एस0डब्ल्यूएम0 नियम 2016 के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पालिका द्वारा 15 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा जागरूकता एवं कूड़ा पृथक्कीकरण अभियान से जोड़ा गया है। नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा एम0आर0एफ0 सेंटर में संरक्षित सूखे कूड़े को रिसाईकिलिंग प्लांट में भेजा जाता है।

10. सार्वजनिक स्थानों व मुख्य पर्यटक स्थलों पर कूड़ा खुले में न डालने व कूड़ादान में ही कूड़े का निस्तारण करने के पर्याप्त निर्देश व चेतावनी युक्त बोर्ड/होर्डिंग स्थापित हैं।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में उक्तानुसार विभागों द्वारा प्रस्तुत आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(फिंचा राम चौहान)

अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)
नैनीताल।

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को उनके पत्र संख्या 958/छब्बीस-3/2024-25 दिनांक 17 मार्च, 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल, मा. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिन्सपल बैंच, नई दिल्ली को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री आर्दश चमोली, पैनल एडवोकेट, चैम्बर नं0-5, लॉयर चैम्बर्स, ब्लॉक-1 दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली, पिन-11001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार तथ्यों से मा. प्राधिकरण को अवगत करवाते हुए प्रकरण का निस्तारण करवाये जाने का कष्ट करें।
4. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली।

अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0)
नैनीताल।